ीलान्ट द्वारा किया गया ...
 रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी है।
हसीलदार कोटपूतली से अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा हटा लिया गया की रिपोर्ट प्राप्त ने पर अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा दिनांक 25/4/2018 को आगामी ादेशों तक स्थिगित की गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
हस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपनी अपील में वर्णित तथ्यों का र्णन करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा एक रफा निर्णय पारित करते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली पैनल्टी जमा कराने के आदेश के साथ–साथ अपीलान्ट को पाश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। वर्तमान में उनके द्वारा विवादास्पद भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा मौके पर भूमि पडत है, जो तहसीलदार कोटपूतली की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 06/3/2018 निरस्त फरमाया जावें ।

पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट के द्वारा आराजी विवादास्पद सम्वत् 2073 में अतिक्रमण कर लिया गया था इसके बाद पुनः सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। पूर्व में अतिक्रमण करने पर बेदखली के आदेश प्रदान करने के उपरान्त भी पुनः अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि पटवारी हल्का के द्वारा अपने बयानों में किये जाने पर अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होने पर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना योग्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने उभय पक्षों की बहस एवं कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली का अवलोकन किया। अपीलान्ट एवं उनके योग्य अधिवक्ता का कहना था कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे मात्र कयास के आधार पर उनके विरूद्व झुंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित करते हुए बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर अपीलान्ट के बेदखली पैनल्टी जमा कराने के साथ–साथ पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित कर दिये वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलान्ट द्वारा विवादास्पद भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा मौके पर भूमि पडत पडी है, जो तहसीलदार कोटपूतली की रिपोर्ट से प्रमाणित है। चूँकि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन माह के सिविल कारावास से डंण्डित किया है। इस चेतावनी के साथ सजा माफ कि जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के शेष आदेश बेदखली पैनल्टी आदि सभी यथावत रहेगे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार कोटपूतली को भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)